

26⁴ 2/3 पत्रावली पेश हुई। यह पत्रावली
 शीघ्र सुनवाई के आदेश - पत्र पर
 हस्ताक्षर होने पर पेशी में ली जावे।
 प्रतिवादी के वकील उक्त हैं वादी के
 उनके वकील कृष्ण सिंह उनके विरुद्ध
 एक पक्षीय कार्यवाही में आदेश दिये
 जाते हैं वादी एवं उनके वकील को
 शीघ्र सुनवाई के आदेश - पत्र पर
 वादी के वकील का कार्रवाई की जाय
 ही चुकी है किन्तु वादी व उनके
 वकील कोई भी उपस्थित नहीं साथ।
 वादी की कदम हाजरी व कदम पेशी
 बरखूकी स्थापित है उक्त वादी का

रामचन्द्र कालेकर P.T.O.
 बड़सोड़ (अलावर) राज.